(143)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर</u>

समक्ष–के० सी० जैन
<u>सदस्य</u>

निगरानी प्रकरण कमांक 1152–एक/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.05.2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 291/ अपील/07–08.

......

जसवंत सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम उकावल तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी म0प्र0

--- आवेदक

विरूध्द

सीताराम पुत्र नन्दू उर्फ मन्दू जाटव
निवासी ग्राम उकावल तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी म0प्र0

--- अनावेदक

आवेदक अधिवक्ता श्री अमित भार्गव
अनावेदक अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26 –09–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 291/ अपील/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 27.5.2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि पटवारी ग्राम उकावल ने ग्राम उकावल की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 26 पर दिनांक 28.12.06 को प्रविष्टि दर्ज की कि ग्राम उकावल स्थित आराजी कमांक 803 रकबा 0.57 एवं 804 रकबा 0.76 कुल किता 2 कुल रकबा 1.33 है0 मन्टू पुत्र खुमना चमार ग्राम उकावल के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है जिसने इस भूमि को निरंजन सिंह पुत्र तखत सिंह रघुवंशी ग्राम उकावल को विकय कर दिया है तथा निरंजन सिंह वेओलाद मृतक हो जाने से उसके वारिसान में आवेदक मात्र है। इस नामांतरण पंजी की प्रविष्टि को तहसीलदार कोलारस ने आदेश दिनांक 4.2.07 से प्रमाणित कर नामांतरण किया। इस आदेश के विरूद्ध मृतक खातेदार के पुत्र अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालयस में अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी कोलारस ने प्रकरण कमांक 1/अपील/07-08 में पारित आदेश दिनांक 17.3.08 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 4.2.07 निरस्त किया। इससे दुखित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के यहां प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 27.5.2009 को अपील अस्वीकार कर संबंधित तहसीलदार के विरूद्ध विभागीय जांच शाखा को प्रति भेजने की अनुशंसा की गई है। इससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि विवादित भूमि रजिस्ट्रीकृत विक्रय से क्रय की गई थी और ऐसे विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता निरंजन सिंह के वारिस आवेदक के नाम तहसील न्यायालय ने विधिवत नामांतरण आदेश किये थे जिसे निरस्त करना अनुचित हैं क्रेता निरंजन सिंह का स्वर्गवास हो गया था ओर जब आवेदक के ज्ञान में रजिस्ट्री आई तो नामांतरण का आवेदन दिया गया तथा इस्तहार का प्रकाशन किया गया किसी की कोई आपत्ति नहीं आने पर नामांतरण किया गया है। आवेदक द्वारा बिलंब से नामांतरण आवेदन किये जाने के कारण उसका नामांतरण आदेश अपास्त नहीं किया जाना चाहिये था। उनके द्वारा अपनी बहस में आगे कहा गया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के मत में अनावेदक को सूचना की तामील नहीं की गई थी तब ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसील न्यायालय को दोनों पक्षों को सूचना तथा सुनवाई के अवसर के पश्चात निर्णय किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिये था। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक ने कोई सांठ गांठ नहीं की है। आवेदक पूर्व प्रकरणों में पक्षकार नहीं था और उसे उन प्रकरणों की कोई जानकारी नहीं थी। आवेदक के ताऊ निरंजन सिंह ने आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा किया था। निरंजन सिंह की मृत्यु उपरांत आवेदक की जानकारी में विक्रय पत्र आया तब उसने नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अपर आयुक्त ग्वालियर का एवं अनुविभागीय अधिकारी कोलारस का आदेश अपास्त कर तहसील का आदेश बहाल करने का निवेदन किया है।

4-अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क था कि अनुविभागीय अधिकारी ने वादग्रस्त रजिस्ट्री गिरवीनामा होने के कारण परित्राणा अधिनियम के अंतर्गत निरस्त कर दिया था तब क्रेता ने कलेक्टर के समक्ष भी अपील प्रस्तुत की थी। कलेक्टर ने भी अपील निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा। जिसके कारण रजिस्ट्री शून्य हो गई और रजिस्ट्री शून्य घोषित होने के कारण तहसीलदार ने नामांतरण करने में त्रुटि की है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त किया है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी अस्वीकार की जावे।

5- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का वारीकी से अध्ययन किया। अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया है कि नन्दू उर्फ मन्टू जाटव ग्राम उकावल तहसील कोलारस वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी था और उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 17.6.68 संपादित करके क्रेता निरंजन सिंह से रूपये उधार लिये थे स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.6.68 विक्रयनामा न होकर गिरवीनामा था। अनुविभागीय अधिकारी परगना कोलारस द्वारा म0प्र0 समाज के कमजोर वर्गो के कृर्षि भूमि धारकों को उधार देने वालों की भूमि हड़पने संबंधी कुचक्र से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत वादग्रस्त भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.6.68 को गिरवीनामा होने के कारण शून्य घोषित कर दिया था, इसके विरूद्ध कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था और उनके द्वारा भी निरस्त हो चुका था उसके पश्चात अपील/निगरानी न होने के कारण अंतिम रूप ले चुका था और

विक्रय नामा शून्य हो जाने से वादग्रस्त भूमि पुनः भूधारी नन्दू उर्फ मन्टू जाटव ग्राम उकावल तहसील कोलारस के भूमिस्वामी स्वत्व की थी। तहसीलदार ने उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुये नन्दू उर्फ मंटू जाटव की भूमि पर नामांतरण करने की त्रुटि की है। स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ग्वालियर का एवं अनुविभागीय अधिकारी कोलारस का आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 27.5.09 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(के. सी. जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर